



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) Railway Board

Office Order No. 27 of 2024

Sub.: Allocation of work to the Ministers of State in the Ministry of Railways.

The Minister of Railways has allocated the following work to Ministers of State for Railways - **Shri V. Somanna-MOSR(S)** and **Shri Ravneet Singh-MOSR(R)**:

I. Matters to be disposed of at the level of MOSR(S):

- a) VIP references addressed to MOSR(S).
- b) DAR cases of Group B, C & erstwhile Group 'D' Categories of staff where the President is the Disciplinary/Appellate/Reviewing authority.
- c) Monitoring of Railway development works in the following States/UTs:
Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and Telangana.
- d) All Parliamentary matters in the absence of MOSR(R).

II. Matters to be disposed of at the level of MOSR(R):

- a) VIP references addressed to MOSR(R)
 - b) Matters relating to Official Language.
 - c) Monitoring of Railway development works in the following States/UTs:-
Chandigarh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Ladakh, Punjab.
 - d) Staff Welfare and Labour Legislations.
 - e) Matter relating to Public Grievances & Staff Grievances (other than DAR).
 - f) All Parliamentary matters related to Assurances, laying of reports/Regulations/ Rules, Authentication of Papers, Replies to Hon'ble MPs under Rule 377 etc.
2. Replies to Starred & Unstarred Parliament Questions and Calling Attention Motion to be put up to the Minister of Railways through MOSR(R).
3. All other cases requiring approval of MR and important/urgent matters to be put up directly to Minister of Railways.

Contd..

-: 2:-

4. It may be ensured that all files are submitted/routed to the Ministers strictly in accordance with this allocation of work.
5. This issues with the approval of the Minister of Railways.

No.2024/O&M/8/2
Dated: 22.06.2024

Aruna Nayan
(Aruna Nayan)
Secretary/Railway Board

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Dayabasti.

Copy to:

1. Principal Secretary to the Prime Minister.
2. Cabinet Secretary
3. CRB & CEO, MF, MI, MO&BD, MTRS, DG/HR, DG/Safety, DG/RPF & DG/RHS.
4. EDPG/MR, OSD/MR, OSD/Co-ord/MR, JDPG/MOSR(S), Sectt. of MOSR(R).
5. CMDs/MDs of all Railway PSUs, MD/CRIS, VC/RLDA, MD/NHSRCL.

Copy for information to:

The General Managers, All Indian Railways & Production Units etc.
DG/RDSO, DG/NAIR & Heads of All Training Institutes.

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2024 का कार्यालय आदेश सं. 27

विषय: रेल मंत्रालय में राज्य मंत्रियों को कार्य आवंटन।

रेल मंत्री जी द्वारा रेल राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना- रेल राज्य मंत्री (एस) और श्री रवनीत सिंह- रेल राज्य मंत्री (आर) को निम्नलिखित कार्य आवंटित किए गए हैं:

I. रेल राज्य मंत्री (एस) के स्तर पर निपटाए जाने वाले मामले:

- क) रेल राज्य मंत्री (एस) को संबोधित वीआईपी संदर्भ।
- ख) ग्रुप बी, सी और पूर्ववर्ती ग्रुप डी कोटि के कर्मचारियों के अनुशासन एवं अपील नियमों संबंधी मामले, जिनमें माननीय राष्ट्रपति अनुशासनिक/अपीलीय/समीक्षा प्राधिकारी हों।
- ग) निम्नलिखित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में रेलवे के विकास संबंधी निर्माण कार्यों की निगरानी:-
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।
- घ) रेल राज्य मंत्री (आर) की अनुपस्थिति में सभी संसदीय कार्य।

II. रेल राज्य मंत्री (आर) के स्तर पर निपटाए जाने वाले मामले:

- क) रेल राज्य मंत्री (आर) को संबोधित वीआईपी संदर्भ।
- ख) राजभाषा से संबंधित मामले।
- ग) निम्नलिखित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में रेलवे के विकास संबंधी निर्माण कार्यों की निगरानी:-
चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पंजाब।
- घ) कर्मचारी कल्याण और श्रम कानून।
- ड.) जन शिकायतों और कर्मचारी शिकायतों (अनुशासन एवं अपील नियमों से इतर) से संबंधित मामले।
- (च) आश्वासनों से संबंधित सभी संसदीय मामले, रिपोर्ट/विनियम/नियम प्रस्तुत करना, कागजातों का प्रमाणीकरण, नियम 377 आदि के अंतर्गत माननीय संसद सदस्यों को उत्तर देना।

2. तारांकित और अतारांकित संसदीय प्रश्नों के उत्तर और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रेल राज्य मंत्री (आर) के माध्यम से रेल मंत्री को प्रस्तुत किया जाए।

3. अन्य सभी मामलों जिनके लिए रेल मंत्री के अनुमोदन की आवश्यकता हो और महत्वपूर्ण/अत्यावश्यक मामले सीधे रेल मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

4. यह सुनिश्चित किया जाए कि मंत्रियों को सभी फाइलें कार्य के इस आबंटन के अनुसार ही प्रस्तुत की जाएँ भेजी जाएँ।

5. इसे रेल मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं. 2024/ओएंडएम/8/2

दिनांक: 22.06.2024

अरुणा नायर
(अरुणा नायर)

सचिव/ रेलवे बोर्ड

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग, और दयाबस्ती के सभी अधिकारी एवं शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव।
2. मंत्रिमंडल सचिव
3. अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, सदस्य वित्त, सदस्य अवसंरचना, सदस्य परिचालन एवं व्यवसाय विकास, सदस्य कर्षण एवं चल स्टॉक, महानिदेशक/मानव संसाधन, महानिदेशक/संरक्षा, महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल और महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवा।
4. कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, विशेष कार्य अधिकारी/रेल मंत्री, विशेष कार्य अधिकारी/समन्वय/रेल मंत्री, संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस), रेल राज्य मंत्री (आर) सचिवालय
5. सभी रेलों उत्पादन इकाइयों के मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक/क्रिस, कुलपति/रेल भूमि विकास प्राधिकरण, प्रबंध निदेशक/एनएचएसआरसीएल।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं., महानिदेशक/भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी एवं सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख।